

कार्यालय प्रधानाचार्यः जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज, कानपुर।

पत्र संख्या-266/ई०सी०-1/एन०डी०/2024

दिनांक-17/09/2024

सूचना :-

शासन के पत्र संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 दिनांक 14 जून 2024 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों को संविदा के आधार पर वाक-इन-इन्टरव्यू माध्यम से चयन के मामलों में नियुक्ति/तेनाती व अर्थियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु सेवायोजन विज्ञापित संख्या-182/एन०डी०/2024 दिनांक 29-06-2024 के सन्दर्भ में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में विभिन्न विभागों/द्रामा सेंटर के अन्तर्गत संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञापित की गयी है, जिसके आधार पर रोगी के उपचार/एन०एम०सी० (एम०सी०आई०) मानकों की पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय/सुपर स्पेशियलिटी इन्स्टीट्यूट (पी०एम०एस०एस्कोवाई०) रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु इन पदों पर चयन वाक-इन-इन्टरव्यू (walk-in-interview) पद्धति से शासन द्वारा नियुक्त चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ विज्ञापित जारी होने के पश्चात माह के शुक्रवार दिनांक 20-09-2024 को परीक्षा हाल-3, मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रातः 10:00 बजे से सायं-04:00 बजे के मध्य उपस्थित हों। अर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह साक्षात्कार के दिवस अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/पोथ पत्रों तथा एन०एम०सी० की गाइड लाइन के अनुसार सहायक आचार्य हेतु सीनियर रेजिडेंसी एवं आचार्य/सह आचार्य हेतु एम०डी०/बी०सी०बी०आर० प्रमाण पत्र की (स्व प्रमाणित) छायाप्रतियाँ का एक सेट बायोडाटा सहित भी लायेंगे। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियाँ एवं नियुक्ति की शर्तें जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के वेबसाइट www.gsvmedicalcollege.com पर उपलब्ध हैं। पदों को सख्या घट बढ सकती है।

क्र.सं.	विशेषज्ञता का नाम	संविदा चिकित्सा शिक्षकों की रिक्त पदों की संख्या										
		आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर कमाक	सह आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर कमाक	सहायक आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर कमाक		
1	आर्थोपेडिक्स	1	ओ०बी०सी०	(3)	1	ओ०बी०सी०	(57)	1	आरक्षित	(78)		
		1	एस०सी०	(55)	1	अनारक्षित	(58)	1	एस०सी०	(101)		
2	आथलमोलॉजी	0	0	0	1	एस०सी०	(59)	1	अनारक्षित	(104)		
		0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(60)	1	एस०सी०	(105)		
3	आब्स्ट्रेटिक्स एण्ड मायनोकोलॉजी	0	0	0	1	अनारक्षित	(64)	0	0	0		
		0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(65)	0	0	0		
4	इम्यूनोसी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(68)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(110)		
		0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(67)	1	एस०सी०	(111)		
5	एनाटमी	0	0	0	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(39)		
		0	0	0	0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)		
		0	0	0	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(51)		
		0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित	(76)		
		0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित	(86)		
		0	0	0	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(87)		
6	एनेस्थीसिया	0	0	0	1	अनारक्षित	(6)	1	एस०सी०	(11)		
		0	0	0	1	अनारक्षित	(38)	1	द्रामा	(14)		
		0	0	0	1	अनारक्षित	(68)	1	1(न्यूरो सर्जरी)	(15)		
		0	0	0	1	एस०सी०	(69)	1	ओ०बी०सी०	(119)		
		0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(70)	0	0	0		
		0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(71)	0	0	0		
		0	0	0	1	अनारक्षित	(72)	0	0	0		
7	ओटो लॉरिंगोलॉजी(ई०एन०टी०)	1	ओ०बी०सी०	(57)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(19)		
8	कम्युनिटी मेडिसिन	0	0	0	0	0	0	1	एस०सी०	(121)		
		0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित	(122)		
		0	0	0	0	0	0	1	एस०सी०	(159)		
		0	0	0	0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(160)		
		0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित	(172)		
9	जनरल मेडिसिन	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(75)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(20)		
		0	0	0	1	अनारक्षित	(76)	1	एस०टी०	(47)		
		0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(77)	1	एस०सी०	(53)		
		0	0	0	1	अनारक्षित	(78)	1	अनारक्षित	(54)		
		0	0	0	1	एस०सी०	(79)	1	ओ०बी०सी०	(55)		
		0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(80)	1	एस०सी०	(83)		
		0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(81)	1	अनारक्षित	(64)		
		0	0	0	1	अनारक्षित	(104)	1	ओ०बी०सी०	(123)		
		0	0	0	1	एस०सी०	(105)	1	अनारक्षित	(124)		
		0	0	0	1	अनारक्षित		1	एस०सी०	(125)		
10	जनरल सर्जरी	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(85)	1	एस०सी०	(21)		
		0	0	0	1	अनारक्षित	(86)	1	1(प्लास्टिक सर्जरी)	(23)		
		0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(87)	1	अनारक्षित	(24)		
		0	0	0	1	अनारक्षित	(88)	1	ओ०बी०सी०	(44)		
		0	0	0	1	एस०सी०	(89)	1	ओ०बी०सी०	(65)		
		0	0	0	1	अनारक्षित		1	एस०सी०	(99)		
		0	0	0	1	अनारक्षित		1	ओ०बी०सी०	(129)		
		0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०एस०		1	ई०डब्ल्यू०एस०	(130)		
		0	0	0	1	एस०सी०		1	एस०सी०	(131)		
		0	0	0	1	अनारक्षित		1	अनारक्षित	(132)		
		0	0	0	1	ओ०बी०सी०		1	ओ०बी०सी०	(165)		
		0	0	0	1	अनारक्षित		1	अनारक्षित	(166)		
		0	0	0	1	ओ०बी०सी०		1	ओ०बी०सी०	(167)		
0	0	0	1	अनारक्षित		1	अनारक्षित	(168)				
0	0	0	1	एस०सी०		1	एस०सी०	(169)				
11	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(54)	0	0	0		
		0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(90)	0	0	0		
		0	0	0	1	अनारक्षित	(106)	0	0	0		
12	डरमिटोलॉजी (स्कीन एण्ड वी०डी०)	1	ओ०बी०सी०	(65)	1	ओ०बी०सी०	(91)	0	0	0		
		1	अनारक्षित		1	ओ०बी०सी०	(107)	0	0	0		
13	न्यूरोलॉजी	1	अनारक्षित	(24)	0	0	0	0	0	0		
14	न्यूरोसर्जरी	1	द्रामा	(26)	0	0	0	0	0	0		
15	नेफ्रोलॉजी, (मेडिसिन)	0	0	0	1	अनारक्षित	(18)	0	0	0		
16	पीडियाट्रिक्स	0	0	0	1	एस०सी०	(93)	1	1(साइलंडसाइकोलॉजिस्ट)	ई०डब्ल्यू०एस०	(30)	
		0	0	0	1	अनारक्षित	(94)	1	1	सहायक आचार्य	ई०डब्ल्यू०एस०	(70)
		0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(95)	1	1	कम स्वीच फिथलाजिस्ट	ओ०बी०सी०	(139)
		0	0	0	1	अनारक्षित		1	1	अनारक्षित	ई०डब्ल्यू०एस०	(140)
		0	0	0	1	अनारक्षित		1	1	अनारक्षित	ई०डब्ल्यू०एस०	(170)
		0	0	0	1	अनारक्षित		1	1	अनारक्षित	ओ०बी०सी०	(171)

17	पैथालोजी	0	0	0	0	0	0	1	ओबीओसी एसओसी	(91) (143)
18	फार्माकालोजी	1	एसओसी	(49)	1	एसओसी अनारक्षित	(25) (34)	1	एसओसी एसओसी अनारक्षित	(45) (93) (144)
19	फिजिकल एण्ड मेडिकल रिहैबिलिटेशन (एनएसएस/एनएसबी)	1	अनारक्षित	(46)	0	0	0	0	0	0
20	फिजियोलोजी	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित अनारक्षित एसओसी	(46) (94) (145)
21	फोरेन्सिक मेडिसिन	1	अनारक्षित	(62)	0	0	0	1	अनारक्षित अनारक्षित	(96) (146)
22	बायोकेमिस्ट्री	1	ओबीओसी	(51)	1	अनारक्षित	(96)	1	एसओसी अनारक्षित	(147) (148)
23	माइक्रोबायोलोजी	0	0	0	1	एसओसी	(97)	1	एसओसी ईओब्लूएसओ ओबीओसी	(149) (150) (151)
24	यूरोलॉजी	0	0	0	1	ओबीओसी	(51)	1	ओबीओसी	(75)
25	रेडियोलॉजी	1	ओबीओसी	(37)	1	ईओब्लूएसओ अनारक्षित एसओसी ईओब्लूएसओ एसओसी अनारक्षित	(30) (98) (99) (100) (101) (102)	1	ओबीसी अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित ओबीओसी अनारक्षित ओबीओसी अनारक्षित	(37) (38) (98) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (161)
26	साइक्रियेट्री	1	अनारक्षित	(68)	1	ओबीओसी अनारक्षित	(103) (108)	1	1फिजिसिस्ट अनारक्षित	(161) (158)
		12			52			83		

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्त निम्नवत है:-

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन ₹0-2,20,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
- शासनादेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
- शासनादेश सं-562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
- चयन से सम्बन्धित कालेज से उत्तीर्ण अम्यर्थी तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अम्यर्थी को पूर्ववर्ती अम्यर्थी पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
- चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व निर्गत सेवा नियमावली में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
- ओबीओसी के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
- कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
- उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा से चयनित अम्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होंगे।
- चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
- संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुभव पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुभव या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमतीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
- अम्यर्थियों से साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी जायेगी।
- उ0प्र0शासन, कार्मिक अनुनाग-2, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II दिनांक 18-02-2019 के अन्तर्गत ईओब्लूएसओ (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल वार्षिक आय ₹0 8.00 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नेट पर देखा जा सकता है।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों की शैक्षिक अर्हता नवीन एन0एम0सी0 गाइड लाइन के अनुसार अनुमन्य होगी।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों का समायोजन होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
- जो अम्यर्थी एम0डी0/एम0एस0 के अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता रखता/रखती है, तो उसे वरीयता दी जायेगी।

प्रधानाचार्य

मेडिकल कालेज, कानपुर

सं- 266 / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करे।
- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
- नोडल अधिकारी वेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

प्रधानाचार्य

मेडिकल कालेज, कानपुर